न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 89 / 2022

विजय किशोर जैन कानूनी सलाहकार वक्फ किरायेदार ईदगाह विकास समिति शहर भरतपुर द्वारा वृजवासी एण्टर प्राईजेज, कुम्हेर गेट चौराहा भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अल्पसंख्यक अधिकारी,अल्पसंख्यक मामलात विभाग, संग्राहलाय रोड किला परिषर भरतपुर

.............रेस्पों0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 22.11.2022

अपीलार्थी विजय किशोर जैन कानूनी सलाहकार वक्फ किरायेदार ईदगाह विकास समिति शहर भरतपुर द्वारा वृजवासी एण्टर प्राईजेज, कुम्हेर गेट चौराहा भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, अल्पसंख्यक अधिकारी,अल्पसंख्यक मामलात विभाग, संग्राहलाय रोड किला परिषर भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 838 दिनांक 9.11.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अल्पसंख्यक अधिकारी,अल्पसंख्यक मामलात विभाग, संग्राहलाय रोड किला परिषर भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी का जबाब पत्र क्रमांक / जिअसकंअ / भरत / आरटीआई / 2022–23 / 2594 दिनांक 11.11.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावाली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र कमांक / आरटीआई / 2022–23 / 2181 दिनांक 10.10.2022 से उनके पते पर भेजी जा चुकी है। अस्तु अपील अस्वीकार की

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर